प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रशासक,
उत्तराखण्ड सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0,
देहरादून।

सेवा में,

1. अधिशासी निदेशक,
डोईवाला शुगर कम्पनी लि, डोईवाला,
किच्छा शुगर कम्पनी लि, किच्छा।
2. प्रधान प्रबन्धक,
सहकारी चीनी मिल, बाजपुर/नादेही/गदरपुर एवं सितारगंज।

उ.शु./ संख्या– 834 / देहरादून दिनांक 23 सितम्बर,2010

विषयः– राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में कार्यरत कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

राज्य की सहकारी क्षेत्र की बाजपुर,गदरपुर,नादेही,एवं सितारगंज चीनी मिलों में पूर्व में लागू चिकित्सा भत्ता संबंधी आदेश/सुविधा को समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की मिलों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य की जाती है–

1. एक वित्तीय वर्ष में ₹ 5,000.00 तक के दावे मिल के चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति पर स्वीकृत किये जायेगे।

2. ₹ 5,001.00 से ₹ 20,000.00 की रशि के दावे चिकित्सा समिति के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत किये जायेगें। उक्त समिति के सदस्य मुख्य अभियन्ता, मुख्य रसायनविद, मुख्य गन्ना अधिकारी, एवं मुख्य लेखाकार होगें।

3. एक वित्तीय वर्ष में किसी भी कर्मचारी/अधिकारी के ₹ 20,000.00 से अधिक के चिकित्सा बिलों का भुगतान उक्त समिति के परीक्षण एवं मुख्यालय की स्वीकृति के उपरान्त किया जायेगा।

4. चिकित्सा सुविधा स्थाई कर्मचारियों को पूरे वर्ष, सामायिक कर्मचारियों को पेराई सत्र के दौरान तथा बन्दी सत्र में उन्हे डयूटी पर ली गयी अवधि के दौरान के ही बिल देय होगें, परन्तु अस्थायी एवं दैनिक वेतन भौगी कर्मचारियों को देय नहीं होगा।

5. स्थायी/सामायिक/अस्थायी या दैनिक वेतनभैगी कर्मचारीयें को डयूटी के दौरान दुर्घटना ग्रस्त होने पर समस्त चिकित्सा व्यय का भुगतान किया जायेगा।

6. सीटी स्कैंन के मद में ₹ 1,000.00 प्रति सीटी स्कैन का भुगतान अनुमन्य होगा।

7. कर्मचारी की पत्नी के प्रसव की स्थिति में अधिकतम दो बच्चों का चिकित्सा व्यय अनुमन्य होगा, जिसमें केवल दवा, टेस्ट आदि का व्यय ही अनुमन्य होगा।

8. कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूति दावों में निम्न लिखित के व्यय का भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।

(क) परामर्श शुल्क,

(ख) आपरेशन फीस,

(ग) अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में भर्ती के दौरान कमरे/वार्ड का किराया देय नहीं होगा। इसी प्रकार भर्ती के दौरान डाक्टर की विजिट फीस एवं नर्सिंग चार्ज देय नहीं होगा।

(घ) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति में चशमें, कोन्टेक्ट लेंस, फिजियोथरेपी संबंधी उपकरण, बैल्ट, सिकाई के उपकरण आदि के व्यय अनुमन्य नहीं होगें।

(च) परिवार में विवाहित बच्चों व स्वनियोजित पुत्रों के चिकित्सा देयकों का भुगतान नहीं होगा।

(छ) मोटर दुर्घटना में चोट लगने की दशा में उसका कोई चिकित्सा व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा। ऐसे मामलें में कर्मचारियों को प्राथमिकी दर्ज करा कर दूसरी पार्टी पर क्षतिपूर्ति दवा दायर कर कलेम प्राप्त करेगें।

(ज) चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु टैक्सी व्यय व अस्पताल आने जाने से संबंधित कोई भी व्यय स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(झ) पोष्टिक आहार, टॉनिक च्यवनप्राश, तथा प्रसाधन आदि सामग्री पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

OmPrakash
23.09.10

(ओम प्रकाश)
प्रशासक।